

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/237

सेवार्थ

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रधारान गाँवों के खाता
अभियान - 2021

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रहड़ की
जमाबन्दी सम्बन्धित 2076 से 2079 के खाता संख्या 374
में गोसा पुन मांसू का नाम गोसा पुन मांसू दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
दस्तावेजों में गोसा पुन मांसू का नाम गोसा पुन मांसू है अतः

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

गोसा पुन मांसू के निवेदन है कि गोसा पुन मांसू का नाम गोसा पुन मांसू
दर्ज करने की कृपा करें।

दिनांक-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रहड़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धित 2076 से 2079 के
खाता संख्या 374 में प्रार्थी का नाम गोसा पुन मांसू दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
दस्तावेजों में जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गोसा पुन मांसू है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

गोसा पुन मांसू
भू.अ.नि. गोसा पुन मांसू

गोसा पुन मांसू
पटवारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा सा0मू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी रहड़ एवं भू.अ.नि. गोसा पुन मांसू एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम रहड़ की जमाबन्दी सम्बन्धित 2076 से 2079 की खाता संख्या 374 में प्रार्थी का
नाम गोसा पुन मांसू के बजाय गोसा पुन मांसू किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

जमा 0175/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रहड़ जमाबन्दी सम्बन्धित 2076-79 खाता
संख्या 374 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोसा पुन मांसू के स्थान पर गोसा पुन मांसू संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)